

ओबीसी कोटे में वृद्धि हेतु राजस्थान में वधियक पारति

संदर्भ

हाल ही में राजस्थान वधिनसभा ने एक वधियक पारति करते हुए 'अन्य पछिड़ा वर्ग' (other backward classes-OBC) को सरकारी नौकरियों और शक्तिषा संस्थानों में मलिने वाले आरक्षण में वृद्धिकर करमशः 21% व 26% कर दिया है। दरअसल, इस वधियक के तहत गुज्जर और चार अन्य खानाबदोश समुदायों को आरक्षण का लाभ मुहैया कराने के लिये अन्य पछिड़े वर्ग के अंतर्गत 'अत्यंत पछिड़े वर्गों' (most backward classes) की श्रेणी का सृजन किया गया है।

परमुख बदि

- पछिड़ा वर्ग (राज्य के शक्तिषण संस्थानों और राज्य के अंतर्गत आने वाली सरकारी सेवाओं में सीटों का आरक्षण) वधियक, 2017 में गुज्जर, बंजारा, गडिया लोहार, रैका और गडरिया समुदायों के लिये 5% आरक्षण का प्रावधान है। अतः इस वधियक के पारति होने के साथ ही राजस्थान में दिया जाने वाला कुल आरक्षण अब 54% हो गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारति की गई आरक्षण की न्यूनतम सीमा 50% से अधिक हो गया है।
- इस वधियक को ध्वनमित से पारति करने के पश्चात् राजस्थान वधिनसभा को अनशिचति काल के लिये स्थगति कर दिया गया है।
- इससे पहले गुज्जर और अन्य खानाबदोश समुदायों को एक वशिष पछिड़ा वर्ग समुदाय में रखा गया था और राज्य सरकार ने उन्हें 5% आरक्षण देने के लिये तीन बार प्रयास भी किये थे, परन्तु इस कानून को हर बार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा असवीकार कर दिया गया। न्यायालय का तर्क था कि राज्य में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिये।
- गुज्जरों द्वारा किये जाने वाले आन्दोलन के पश्चात् भारतीय जनता दल की सरकार ने उन्हें यह आश्वसन दिया था कि संशोधति ओबीसी कोटे में इन अत्यधिक पछिड़े वर्गों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। यह कहा गया है कि राज्य की ओबीसी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षण में वृद्धिकी जाएगी जो किकानूनी रूप से सवीकार्य भी है।
- वर्तमान में राजस्थान के 91 समुदायों (जो कि राज्य की जनसंख्या का 52% हैं) को 'अन्य पछिड़े वर्ग' की श्रेणी में रखा गया है और राज्य अन्य पछिड़ा वर्ग आयोग ने उन्हें आरक्षण देने की सफिरशि की थी। इंदरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह नरिणय दिया था कि राजस्थान में कुछ वशिष परस्थितियाँ मौजूद हैं जसि कारण अन्य पछिड़े वर्ग को आरक्षण की 50% की सीमा से परे जाकर भी आरक्षण दिया जा सकता है।

50% आरक्षण का अर्थ?

- इंदरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह नरिणय दिया था कि अनुसूचति जातियों/जनजातियों और अन्य पछिड़े वर्गों अथवा वशिष श्रेणियों के लिये कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिये।
- यह नरिणय तमलिनाडु के कानून के संदर्भ में दिया गया था, जसिके तहत इन समुदायों को रोजगार और शक्तिषा में 69% आरक्षण देने का प्रावधान था।
- इंदरा साहनी मामले में नरिणय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना था कि आरक्षण दो तरह के होते हैं- क्षैतजि और लम्बवत् और उन्हें इस प्रकार से लागू किया जाना चाहिये कि वे 50% से अधिक न हों। ऐसा आरक्षणों के मध्य समन्वय स्थापति करके किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचति जातियों/जनजातियों और पछिड़े वर्गों को दिये जाने वाले आरक्षण को 'लंबवत् आरक्षण' (vertical reservation) कहा जाता है, जबकि अनुच्छेद 16(1) के तहत शारीरिक रूप से वकिलांग व्यक्तियों को दिये जाने वाले आरक्षण को 'क्षैतजि आरक्षण' (horizontal reservation) कहा जाता है। इसके अतरिकित इन दोनों आरक्षणों के मध्य समन्वय स्थापति कर आरक्षण का जो तीसरा रूप दिखाई देता है, उसे ही 'इंटरलॉकगि आरक्षण' कहा जाता है।
- उचति तरीका यह है कि सबसे पहले मेरटि के आधार पर शारीरिक दृष्टि से वकिलांग व्यक्तियों द्वारा ही 50% सीटें भरी जाएँ, जबकि उसके बाद यदि सीटें रकित बचती हैं तो उनमें सामाजिक आरक्षण प्राप्त अनुसूचति जातियों/जनजातियों और पछिड़े वर्ग के लोगों को स्थान दिया जाना चाहिये। इसके बाद यह देखना होगा कि वशिष आरक्षण की श्रेणी में आने वाले कतिने अभ्यर्थियों को इस आधार पर चुना गया है।
- यदि इस तरीके से क्षैतजि आरक्षण के लिये नशिचति किये गए स्थानों को भर लिया जाता है तो यह एक समग्र क्षैतजि आरक्षण होगा और किसी प्रकार का सवाल नहीं उठेगा।
- वर्तमान में सामान्य श्रेणी के लिये लंबवत् आरक्षण 50% है, जबकि अनुचति जातियों, जनजातियों और पछिड़े वर्गों के लिये यह 50% ही है।

